(1)

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 31.08.2020

1–रामनारायण पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी कुम्हारिया ढाणी दहलानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज. कुल कस–07

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–अशोक कुमार पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी कुम्हारिया ढाणी दहलानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज. कुल कस–21

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 5(4) राज.भू–राजस्व अधिनियम (सहकारी समिति कृषि भूमि आवंटन नियम 1959) विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 12.09.1962 ग्राम कुम्हारिया तहसील उनियारा मे कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड को कुल 11 सदस्यो के पक्ष मे पारित किया गया

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ता.6,8,11ता.18,20 ता.25
(3) अप्रार्थी संख्या 7 व 10 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक** 24.04.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा ने दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड को आवंटन सहकारी के आधार पर राज. कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1959 की धारा 4 व 5 के तहत ख0नं0 98 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं. 101 / 1 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं. 107 / 1 मी. रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा,ख.नं.120 रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा तथा ख.नं.121 रकबा 93 बीघा 6 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 212 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया तहसील उनियारा में आवंटन किया गया है,जिसके सदस्य क्रमशः जगन्नाथ पुत्र सुक्खा निवासी आसलगांव,नानगा पुत्र घासी निवासी खोहल्या,बलदेवा पुत्र हरदेवा निवासी आसलगगांव,लोडकिया पुत्र हरपाल निवासी आसलगांव,मोती पुत्र हरदेवा निवासी खोहल्या,मूल्या पुत्र मांगीलाल निवासी खोहल्या,रामपाल पुत्र रामदेवा निवासी खोहल्या,प्रहलाद पुत्र राधाकिशन निवासी खोहल्या,पांचू पुत्र देव निवासी खोहलया,धन्ना पुत्र चन्द्रा निवासी खोहल्या व प्रभू पुत्र कंवरिया निवासी आसलगांव है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब किये जाने पर नायब तहसीलदार सोप ने उनके पत्र कमांक 81 दिनांक 05.03.2021 से जवाब प्रेषित किया है कि उक्त आवंटन पत्रावली इस कार्यालय मे उपलब्ध नही है।

अप्रार्थी संख्या 1, 11, 13, 18, 22, 23 व 25 ने जवाब पेश किया कि ग्राम कुम्हारिया कृषि सहकारी सोसायटी समिति के सदस्य होने से दिनांक 12.09.1962 को उक्त भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आंवटन आदेश ग्राम कुम्हारिया कृषि सहकारी सोसायटी समिति के नाम हुआ था, जो 25 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई पट्टे के तौर पर गैर खातेदारी प्रयोजनार्थ हुआ था। जिसकी अवधि वर्ष 1987 में समाप्त हो चुकी है तथा आज आवंटन आदेश को 61 वर्ष हो चुके है। इस प्रकार उक्त आवंटन वैसे भी स्वतः ही अस्तित्व मे नही रहा है तथा वर्तमान मे ग्राम कुम्हारिया कृषि सहकारी सोसायटी समिति अस्तित्व मे नही रही है। उक्त भूमि वर्तमान मे कृषि सहकारी सोसायटी समिति के नाम दर्ज नही है। सोसायटी का लोप हो चुका है, इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया जाये और उपरोक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर दिया जावे तो हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। उक्त भूमि वर्तमान मे गैर खातेदारी मे दर्ज है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता.6,8,11ता.18,20 ता.25 ने जवाब पेश किया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 12.9.1962 को 11 सदस्यों को राजस्थान भू राजस्व सहकारी समितियों को भू आवंटन नियम 1959 के तहत कुल भूमि रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा आवंटित की गई थी, जो विधि अनुसार एवं नियमानुसार आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि दिनाक 17.10.1962 को सुपुर्दगी मे दी गई है। उक्त सोसायटी रजिस्टर्ड सोसायटी है जिसके सदस्य उक्त 11 आवंटी एवं उनके वारिसान है। कृषि सोसायटी भू आवंटन नियम सन 1959 इस कारण बनाया गया है कि जो कृषक भूमिहीन हो, जो सदभावी कृषक हो, खेतीहर मजदूर हो, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती हो। ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए उक्त अधिनियम बनाया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटियों का बदस्तूर आवंटन की दिनाक से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उनके वारिसान एक साथ मिलकर भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। राजस्थान भू राजस्व कृषि सोसायटी नियम 1959 के नियम 5 में आवंटन की शर्त स्पष्ट है कि आवंटन की अवधि 25 वर्ष के लिए पट्टे पर होगी, जिसे आगामी 25 वर्ष के लिए सहकारी समिति के विकल्प पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। आवंटियों द्वारा उक्त आवंटन शुदा भूमि का लगान एवं बिसलपुर परियोजना के तहत नहर से सिंचाई का प्रीमियम भी राज्य सरकार को अदा किया जाता रहा है। आवंटियों का बदस्तूर उक्त आवंटन की दिंनाक से आवंटन शुदा भूमि पर गत 60 वर्षों से कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। जिन आवंटियों की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान का नामान्तरकरण उनके नाम खुल चुका है एवं उक्त वारिसान उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे है। अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जहां पर आवंटियों की मृत्यु हो गई हो और उनके उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर काश्त करते हुए

जिला कलेक्टर
टोंक

आ रहे हो एवं उक्त अधिनियम के तहत नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए आ रहे हो तो उक्त सोसायटी को किये हुए आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। आवेदनकताओं को प्रस्तुत आवेदन को पेश करने का एवं आवंटन को निरस्त कराने का कोई अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं है। आवेदकगण ने यह आवेदन केवल मात्र आवंटियों व उनके वारिसान हेरान व परेशान करने के लिए तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किया जाये।

प्रकरण मे अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता.6,8,11ता.18,20 ता.25 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया में सहकारी सोसायटी तहसील उनियारा में कुल 11 सदस्यों के पक्ष खसरा नम्बर 98, 101/1 107/1 मिन, 120, 121 कुल किता 5 कुल रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया में कॉपरेटिव सोसायटी अधिनियम की धारा 4 व 5 के तहत् आवंटन आदेश पारित किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही छल एवं कपट के आधार पर किया गया है। दिनांक 12.09.1962 को आवंटन कृषि सोसायटी कुम्हारिया के नाम किया गया है,परन्तु दिनांक 12.09.1962 से लेकर आज दिनांक तक उक्त ग्राम में कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड के नाम से कोई भी समिति रजिस्टर्ड नही है। उक्त आवंटन कुल 11 व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है। आवंटन कागजी आवंटन है और राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी अधिनियम की धारा 4 व 5 के प्रावधान के प्रतिकूल है। तथाकथित आवंटन ग्राम कृषि सरकारी सोसायटी कुम्हारिया के नाम दिनांक 12.09.1962 को 25 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई पट्टे पर हुआ था,जिसमें किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। आवंटन की 25 वर्ष की अवधि सन् 1987 में समाप्त हो चुकी है। समिति द्वारा उक्त आवंटन को आगामी 25 वर्ष के लिए बढाने हेतु किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नही दिया गया है। फिर भी विकल्प के तौर पर अगर उक्त आवंटन दिनांक 12.09.1962 में 25 वर्ष की अवधि बढी हुई मानी जावे तो भी उक्त आवंटन वर्ष 2012 में स्वतः ही निरस्त हो चुका है। विवादित भूमि रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा पर ढाणी दहलानपुरा नाम से गांव बसा हुआ है, जिसमें 45 मकान पक्के एवं कच्चे बने हुए है एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी दहलानपुरा के नाम से स्कूल बनी हुई है, जिसमें सारे ग्राम के बच्चे अध्ययन करते है। उक्त आवंटन शुदा भूमि में ही सरकारी सहायता से एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी हो रखा है। उक्त भूमि पर एक बाबा राम देव जी का मन्दिर जो तकरीबन 70 लाख रूपयें की लागत से सभी प्रार्थीगणं के सहयोग से बनाया गया है। आवंटन शुदा भूमि पर आवेदकगण का शुरू से ही यानी आवंटन के तिथी के पहले से ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के अलावा आवेदकगणों के पास और कोई कृषि भूमि व रहने के लिए मकान नही है। आवेदकगण उक्त आवंटन शुदा भूमि पर 75 प्रतिशत हिस्से पर काबिज है तथा शेष 25 प्रतिशत हिस्से पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा है। प्रतिपक्षीगण संख्या 01, 04, 11,

जिला कलेक्टर
टोंक

18, 20, 23 व 25 ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आवंटन की अवधि जो 25 वर्ष के लिए थी वर्ष 1987 में समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में ग्राम कुम्हारिया कृषि सहकारी सोसायटी अस्तित्व में नही रही है। सोसायटी का लोप हो चुका है और उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त कर इसको राजकीय भूमि घोषित कर दिया जावे तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। उक्त भूमि का आवंटन सहकारी कृषि सोसायटी ग्राम कुम्हारिया के नाम था। प्रतिपक्षीगण मात्र उक्त समिति के सदस्य थे,परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सहकारी समिति का नाम प्रतिपक्षीगण ने धोखे एवं छल कपट से हटवाकर खुद के नाम गैर खातेदारी में दर्ज करवाई है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) (संशोधित) नियम 20 के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर आवेदकगण के नाम उक्त भूमि का कब्जे के अनुसार आवंटन की सिफारिश किया जाना न्यायसंगत है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत 2018(2) RRT 1000 page no- 1000 Rajasthan High Court (Jaipur Bench) उनवान Archana kashyap vs. State of Rajasthan & ors. S.B. Civil Writ Petition no. 20130 of 2017 connected with S.B. Civil Writ petition Nos. 13068, 13601 &14332 of 2014; 1257 of 2015; 18240 of 2017 decided on 23rd Feb. 2018 व आर.बी.जे. 2021 पृष्ठ संख्या 142 उद्धरित किए है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता.6,8,11ता.18,20 ता.25 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण ने दौराने बहस आवंटन दिनांक 12.09.1962 रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया कों छलकपट के आधार पर किया जाना बताया है। प्रतिपक्षीगण को तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को वाके ग्राम कुम्हारिया में खसरा नम्बर 98, 101/1, 107/1 मिन. 120, 121 कुल रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा कुल 11 सदस्यो को कृषि सोसायटी के तहत आवंटित की गई थी,जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 159 ता. 289 है। दिनांक 12.09.1962 को भूमि आवंटन करने के पश्चात दिनांक 17.10.1962 को उक्त भूमि तहसीलदार उनियारा द्वारा मजमे आम बैठक में सुपुर्दगी में दी गई थी। आवंटित भूमि विधि अनुसार एवं नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही दी गई थी। भूमि आवंटन के पश्चात आवंटियो से प्रति वर्ष समय–समय पर उक्त आवंटित भूमि का लगान जमा किया जाता रहा है, जो आज भी निर्विघन रूप से आवंटियों एंव उनके विधिक वारिसान द्वारा जमा कराया जा रहा है। आवंटन की शर्तों के अनुसार उक्त आवंटन 25 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जिसे 25 साल ओर बढाने का प्रावधान है अर्थात कुल अवधि 50 वर्ष है। उक्त आवंटन की 50 वर्ष की अवधि 2012 मे समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद उक्त भूमि को गैर खातेदारी मे लगा दिया गया था और सन् 2015 मे न्याय आपके द्वारा के तहत आवंटियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को उक्त भूमि को खातेदारी मे लगाने के लिए उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये थे, किन्तु उक्त आवंटी अनपढ, अशिक्षित व्यक्ति थे, इस कारण उक्त व्यक्ति आदेश की पालना नही कर पाये। आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आवेदन सन् 2020 में पेश किया है,जबकि 2012 मे ही कृषि सोसायटी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था तो उक्त आवंटन को निरस्त कराने की आवश्यकता ही नही थी। आवंटित भूमि लीज आवंटन पर 25 वर्ष के लिये दी गई थी, चूंकि उक्त भूमि के मालिक राज्य सरकार है एवं आवंटी किरोयदार है। राजस्थान सरकार द्वारा उक्त अधिनियम भूमिहीन कृषको के लिये विशेष रूप से बनाया गया है, जो सदभाविक कृषक अथवा

जिला कलेक्टर
टोंक

खेतीहर मजदूर हो, जो खेती कर रहा हो या व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने वाला हो, जिसकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती हो, ऐसे व्यक्तियो को ही उक्त अधिनियम के तहत भूमि आवंटित की जाती है, जो उक्त अधिनियम अनुसार 25 वर्ष की अवधि के लिये होती है, आवंटी यदि उक्त अधिनियम के नियम एवं शर्तों का पालन निरंतर करते है तो उक्त भूमि उनसे अवाप्त नही की जाती है, यदि ऐसा होता तो उक्त नियम ही क्यों बनाते, क्योंकि 25 वर्ष की समयावधि बाद उक्त आवंटी बेघर हो जायेगे, क्योंकि उक्त भूमि आवंटीयो की आजीविका का साधन है, क्योंकि उक्त भूमि को आवंटित हुये लगभग 60–65 साल हो चुके है, उक्त भूमि पर वर्तमान में आवंटी एवं जिन आवंटियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके विधिक वारिसान उक्त भूमियों पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। आवंटी उक्त आवंटन की सभी शर्तों एवं नियमो का पालन करते चले आ रहे है।आवंटी उक्त भूमियों का लगान भी समय–समय पर जमा कराते हुये आ रहे है एवं बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत नहर से सिंचाई का प्रिमियम भी राज्य सरकार को समय–समय पर जमा कराते आ रहे है। आवंटित भूमि पर आवंटन की दिनांक से आवंटीयों एवं उनकी मृत्यु उपरांत उनके उत्तराधिकारी वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके सम्बंध में प्रतिपक्षीगण आवंटियो द्वारा श्रीमान के समक्ष पृथक से दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जा चुके है। जिससे यह साबित है कि उक्त भूमि पर आवंटीयों एवं उनके उत्तराधिकारीगण का उक्त भूमि पर बदस्तुर कब्जा काश्त है। आवेदनकर्तागण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से यह साबित नही होता है कि उक्त फोटोग्राफ उक्त आवंटित भूमि के ही है। राज. भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में अधिसूचना संख्या एफ 9 (15) राजस्व 6/05 भाग/44 दिनांक 06.09.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है कि Notwithstanding anything contained in these rules, the co-operative society to whom land was alloted and the said society provided that land to its member for cultivation and the said land has been resumed under the Rajasthan (Allotment of Land to Co-operative Societies) Rules] 1959- If the said member of his successor is landless and continuously in possession and cultivating the said land personally, the allotting authority may on advice of the Advisory Committee instead of ejecting him, allot the whole or part of such land subject to limit provided in Rule 12 on payment of five percent of the market value of the land determined by District Level Committee. In case of persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and B.P.L. families no price shall be charged:इस प्रकार उक्त अधिनियम के नियम 20 की उप धारा 3 में जो संशोधन किया गया है, उसके अनुसार आवंटित भूमि के सम्बंध में आवंटियो एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके विधिक वारिसान को संरक्षण प्रदान किया गया है कि यदि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटियो या उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तर जीवी उत्तराधिकारियो का निर्विधन रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है और सभी एक साथ मिलकर काश्त करते हुये आ रहे है और उक्त भूमियों को पुर्नग्रहित भी नही किया गया है तो उक्त भूमि के सम्बंध में सभी अधिकार आवंटी एवं उनके उत्तरजीवियो में निहित होगें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 23.02.2018 को न्यायिक दृष्टांत अर्चना कश्यप वगै. बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डी.एन.जे 2018 (2) पैज नं. 778 पर यह पारित किया है कि Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agriculture Purposes) (Amendment) Rules 2007 -R 20- Rajashtan Land Revenue (Allotment of Land for Co-oprative Societies) Rules 1959 R 5- Protection to landless persons having continuous possession and cultivating the land personally. इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि आवंटी एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके उत्तरजीवी उत्तराधिकारियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त भूमि 21 व्यक्तियों को लीज पर कृषि हेतु उक्त अधिनियम के तहत आवंटित की गई थी, जिसमें 17 आवंटीयो की मृत्यु हो चुकी थी, उक्त भूमि पर शेष 4 आवंटी एवं मृतक आवंटियो के उत्तरजीवी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्विधन रूप से एक साथ मिलकर काश्त करते चले आ रहे थे एवं समय–समय पर लगान जमा कराते हुये एवं सभी नियम एवं शर्तों का पालन करते चले आ रहे थे एवं उक्त आवंटीत भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनर्गृहित भी नहीं की गई थी. इस कारण उक्त आवंटित भूमि के सम्बंध में सभी अधिकार शेष जीवित आवंटी एवं मृतक आवंटियो के अधिकार में निहित है, इस कारण उक्त आवंटित भूमि नियमानुसार पुनर्गृहित कर उक्त सभी आवंटी एवं उनके उत्तराधिकारीयो के पक्ष में संरक्षण प्रदान कर नियमानुसार आवंटन का आदेश प्रदान किया गया है। प्रकरण मे तीन बार तहसीलदार उनियारा से मौके के रिपोर्ट मंगायी जा चुकी है, उक्त मौका रिपोर्ट से यह कही भी साबित नही है कि आवेदनकर्ताओं का उक्त भूमि पर कब, कितने समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के यहाँ दावा बाबत उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज बाबत घोषित किये जाने खातेदार एवं दावा बाबत बेदखल करने एवं तहसीलदार अलीगढ़ के समक्ष पृथक से 183 बी की कार्यवाही कर रखी है। उक्त आवेदकगण अतिक्रमी की हैसियत से है, इस कारण आवेदकगण किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तहसीलदार अलीगढ़ को निर्देशित किया जावे कि आवंटियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि के सम्बन्ध मे 50 सालो के कब्जे के आधार पर पुनः भूमि का आवंटन किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता.6,8,11ता.18,20 ता.25 ने न्यायिक दृष्टांत 2018(2) DNJ(Raj.) page no- 778 Rajasthan High Court (Jaipur Bench) उनवान Archana kashyap vs. State of Rajasthan Thro. Principal Secretary Irrigation Department, Jaipur & ors. S.B. Civil Writ Petition nos. 20130, 18240 of 2017, 13068, 13601 &14332 of 2014 and 1257 of 2015; decided on 23rd Feb. 2018 उद्धरित किए है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली और अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रति का अवलोकन करने से विदित होता है कि तहसीलदार उनियारा ने दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड को आवंटन सहकारी के आधार पर राज. कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1959 की धारा 4 व 5 के तहत ख0नं0 98 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं. 101/1 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं.107/1 मी. रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा,ख.नं.120 रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा तथा ख.नं.121 रकबा 93 बीघा 6 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 212 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया तहसील उनियारा में आवंटन किया गया है,जिसके सदस्य क्रमशः जगन्नाथ पुत्र सुक्खा निवासी आसलगांव,नानगा पुत्र घासी निवासी खोहल्या,बलदेवा पुत्र हरदेवा निवासी आसलगगांव,लोडकिया पुत्र हरपाल निवासी आसलगांव,मोती पुत्र हरदेवा निवासी खोहल्या,मूल्या पुत्र मांगीलाल निवासी खोहल्या,रामपाल पुत्र रामदेवा निवासी खोहल्या,प्रहलाद पुत्र राधाकिशन निवासी खोहल्या,पांचू

जिला कलेक्टर
टोंक

पुत्र देव निवासी खोहलया,धन्ना पुत्र चन्द्रा निवासी खोहल्या व प्रभू पुत्र कंवरिया निवासी आसलगांव है।

अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया में सहकारी सोसायटी तहसील उनियारा में कुल 11 सदस्यों के पक्ष खसरा नम्बर 98, 101/1 107/1 मिन, 120, 121 कुल किता 5 कुल रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया में कॉपरेटिव सोसायटी अधिनियम की धारा 4 व 5 के तहत् आवंटन आदेश पारित किया गया है।दिनांक 12.09.1962 को आवंटन कृषि सोसायटी कुम्हारिया के नाम किया गया है,परन्तु दिनांक 12.09.1962 से लेकर आज दिनांक तक उक्त ग्राम में कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड के नाम से कोई भी समिति रजिस्टर्ड नही है। आवंटन ग्राम कृषि सरकारी सोसायटी कुम्हारिया के नाम दिनांक 12.09.1962 को 25 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई पट्टे पर हुआ था,जिसमें किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। आवंटन की 25 वर्ष की अवधि सन् 1987 में समाप्त हो चुकी है। समिति द्वारा उक्त आवंटन को आगामी 25 वर्ष के लिए बढाने हेतु किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नही दिया गया है। फिर भी विकल्प के तौर पर अगर उक्त आवंटन दिनांक 12.09.1962 में 25 वर्ष की अवधि बढी हुई मानी जावे तो भी उक्त आवंटन वर्ष 2012 में स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रतिपक्षीगण को तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को वाके ग्राम कुम्हारिया में खसरा नम्बर 98, 101/1, 107/1 मिन. 120, 121 कुल रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा कुल 11 सदस्यो को कृषि सोसायटी के तहत आवंटित की गई थी,जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 159 ता. 289 है। दिनांक 12.09.1962 को भूमि आवंटन करने के पश्चात दिनांक 17.10.1962 को उक्त भूमि तहसीलदार उनियारा द्वारा मजमे आम बैठक में सुपुर्दगी में दी गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुसार उक्त आवंटन 25 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था, जिसे 25 साल ओर बढाने का प्रावधान है अर्थात कुल अवधि 50 वर्ष है। उक्त आवंटन की 50 वर्ष की अवधि 2012 मे समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद उक्त भूमि को गैर खातेदारी मे लगा दिया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आवेदन सन् 2020 में पेश किया है,जबकि 2012 मे ही कृषि सोसायटी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था तो उक्त आवंटन को निरस्त कराने की आवश्यकता ही नही थी। उक्त भूमि आवंटीयो की आजीविका का साधन है, क्योंकि उक्त भूमि को आवंटित हुये लगभग 60–65 साल हो चुके है, उक्त भूमि पर वर्तमान में आवंटी एवं जिन आवंटियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके विधिक वारिसान उक्त भूमियों पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है। आवेदकगण अतिक्रमी की हैसियत से है। इस कारण आवेदकगण किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018(2) DNJ(Raj.) page no- 778 में माननीय Rajasthan High Court (Jaipur Bench) उनवान Archana kashyap vs. State of Rajasthan Thro. Principal Secretary Irrigation Department, Jaipur & ors. S.B. Civil Writ Petition nos. 20130, 18240 of 2017, 13068, 13601 &14332 of 2014 and 1257 of 2015; decided on 23rd Feb. 2018 में अंकित है कि "Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) (Amendment) Rules] 2007-R- 20-Rajasthan Land Revenue (Allotment

जिला कलेक्टर
टोंक

of Land for Co&operative Societies) Rules] 1959-R- 5-Protection to landless persons having continuous possession and cultivating the land personally&Collector cancelled the allotment and ordered to record the land as Siwal Chak&Land was allotted to members of the Samiti for cultivation for a period of 25 years and allotment not renewed&Samiti went in liquidation and land stood resumed in the State Government&No applications would be entertained of those persons who are not the members of the society and not cultivating the land throughout&Held] Respondents are directed to consider the applications of those who are entitled to benefit of Sec- 20 (Amended)." व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने प्रकरण संख्या स्पेशल अपील/एल.आर./2853/2003/हनुमानगढ़ उनवान Rampratap vs. State & Others निर्णय दिनांक 03.02.2021 में अंकित है कि " RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Land to Co-operative Societies) Rules 1959-Sub-Rule 4 of Rule 5-15 Bighas of Land was allotted to the appellant from the land which was allotted to the Co-operative Society and Khatedari rights was also given to him whereas under this rule no khatedari or Gair khatedari rights shall accrue to the individual in the land allotted to the Co-operative Society. Moreover appellant was not born when the Co-operative Society was formed. Allotment of land made to appellant was rightly cancelled."

अभिभाषकगण ने अपनी–अपनी लिखित बहस में तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड को आवंटन सहकारी के आधार पर राज. कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1959 की धारा 4 व 5 के तहत किया गया है, की अवधि 25 वर्ष अर्थात् 1987 तक ही माना है। आवंटन की शर्त संख्या 1 में भी यह अलाटमेन्ट 25 वर्ष के लिये पट्टे पर है जिसकी मियाद आगे भी 25 वर्ष के लिये बढाई जा सकेगी का उल्लेख है। सोसायटी के सदस्यों ने उक्त आवंटन को 25 वर्ष के लिये बढाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र तहसीलदार उनियारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, का दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने भी ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वर्तमान में ग्राम कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड अस्तित्व में हों। 25 वर्ष की अवधि के लिये समिति के सदस्यो को काश्त करने हेतु उक्त भूमि आवंटित की गई थी। आवंटन का नवीनीकरण नही हुआ है। वर्तमान मे समिति भी अस्तित्व मे नही है। तहसीलदार अलीगढ से उक्त खसरा नम्बरान की मौका रिपोर्ट तलब करने पर उनके पत्र कमांक 1087 दिनांक 27.11.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की है। रिपोर्ट का अवलोकन से विदित होता है कि उक्त खसरा नम्बरान पर पक्षकारान का कब्जा काश्त है। सोसायटी के सदस्यो के नाम उक्त भूमि गैर खातेदारी मे दर्ज की गई है।जबकि किसी व्यक्ति को खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकार सहकारी समिति को आवंटित भूमि मे नही मिल सकते। तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त आवंटन व्यक्ति विशेष को ना कर सोसायटी के नाम किया गया है। चूंकि सोयायटी को किया गया आवंटन नवीनीकरण नही होने से और आवंटन नवीनीकरण भी होता तो वर्ष 2012 तक की समयावधि के लिये ही होता है। ऐसी स्थिति मे आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 12.09.1962 को ग्राम कुम्हारिया कृषि सरकारी सोसायटी तहसील उनियारा लिमिटेड को

जिला कलेक्टर
टोंक

आवंटन सहकारी के आधार पर राज. कॉपरेटिव सोसायटी नियम 1959 की धारा 4 व 5 के तहत ख0नं0 98 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं. 101/1 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा,ख.नं. 107/1 मी. रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा,ख.नं.120 रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा तथा ख.नं.121 रकबा 93 बीघा 6 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 212 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम कुम्हारिया तहसील उनियारा में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अलीगढ को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पो. को दी गई गैर खातेदारी के संबंध में जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)